

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 15, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

1. भारतीय मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की विशेषता एक प्राकार (घिरे हुए आंगन) की अनुपस्थिति और वक्राकार (curvilinear) आकार वाले शिखर की उपस्थिति है।
2. द्रविड़ शैली में, गोपुरम आमतौर पर विमान की तुलना में अधिक ऊंचा होता है, और मंदिर परिसर आमतौर पर कई संकेंद्री (concentric) प्राकारों से घिरा होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** नागर शैली में, प्राकार (घिरे हुए आंगन) की उपस्थिति अनुपस्थित नहीं होती है; कई नागर मंदिरों (जैसे, खजुराहो, मोढेरा का सूर्य मंदिर) में प्राकार होते हैं। शिखर वास्तव में वक्राकार होता है, लेकिन यह दावा कि प्राकार की अनुपस्थिति होती है, इस कथन को असत्य बनाता है।
- **कथन 2 भी गलत है:** द्रविड़ शैली में, प्रारंभिक मंदिरों में विमान (गर्भगृह के ऊपर का टॉवर) आमतौर पर गोपुरम की तुलना में अधिक ऊंचा होता है; हालाँकि, बाद के बड़े परिसरों (जैसे, तंजावुर, मदुरै) में, गोपुरम बहुत ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन परिभाषित विशेषता यह है कि विमान गर्भगृह के ऊपर का मुख्य टॉवर होता है, और गोपुरम प्रवेश द्वार का टॉवर होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कथन का यह दावा कि गोपुरम "आमतौर पर विमान से ऊंचा होता है" एक सार्वभौमिक (universal) विशेषता के रूप में सटीक नहीं है। इसके अलावा, जबकि बड़े द्रविड़ मंदिरों में कई संकेंद्री प्राकार आम हैं, कथन में पूर्ण सामान्यीकरण और पहली त्रुटि मिलकर पूरे कथन को गलत बनाती है।

इस प्रकार, कोई भी कथन पूरी तरह से सही नहीं है।

2. कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों (aquatic ecosystems) में "उल्टा ट्रॉफिक पिरामिड" (inverted trophic pyramid) की अवधारणा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?

- (a) यह तब होता है जब उत्पादकों की अत्यधिक उच्च टर्नओवर (बदलने की) दरों के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं का बायोमास (जैवभार) प्राथमिक उत्पादकों के बायोमास से अधिक हो जाता है।
- (b) यह सभी मीठे पानी की झीलों की एक मानक विशेषता है और पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता को दर्शाता है।

(c) इसका तात्पर्य यह है कि ऊर्जा का प्रवाह विपरीत हो जाता है और उपभोक्ता उत्पादकों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।

(d) यह केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों (terrestrial ecosystems) में देखा जाता है जहां अपघटक (decomposers) बायोमास पर हावी होते हैं।

उत्तर: (a) यह तब होता है जब उत्पादकों की अत्यधिक उच्च टर्नओवर दरों के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं का बायोमास प्राथमिक उत्पादकों के बायोमास से अधिक हो जाता है।

व्याख्या:

- कुछ जलीय प्रणालियों (जैसे, खुले महासागर, कुछ फाइटोप्लांकटन-प्रधान प्रणालियों) में, फाइटोप्लांकटन (उत्पादकों) का स्थायी बायोमास जूप्लांकटन (प्राथमिक उपभोक्ताओं) की तुलना में कम हो सकता है, जिससे बायोमास का एक "उल्टा" पिरामिड बनता है।
- यह इसलिए संभव है क्योंकि फाइटोप्लांकटन में अत्यंत उच्च टर्नओवर (वृद्धि और प्रजनन) दर होती है; उन्हें तेजी से खाया जाता है लेकिन वे इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं कि वे कम स्थायी बायोमास के बावजूद एक बड़े उपभोक्ता बायोमास को बनाए रखते हैं।
- विकल्प (b), (c), और (d) गलत हैं: यह घटना सभी मीठे पानी की झीलों में सार्वभौमिक नहीं है, ऊर्जा प्रवाह कभी भी विपरीत नहीं होता है (ऊर्जा हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित होती है), और बायोमास का उल्टा पिरामिड कोई स्थलीय-अपघटक-प्रधान विशेषता नहीं है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- मुद्रास्फीति (महंगाई) में "बेस इफेक्ट" (आधार प्रभाव) का तात्पर्य पिछले वर्ष के उसी महीने में असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य स्तरों के कारण वर्तमान मुद्रास्फीति दर में होने वाली विकृति से है।
- एक ऋणात्मक सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation - GCF) का तात्पर्य है कि देश किसी दिए गए वर्ष में जितना पूंजी उत्पादन कर रहा है, उससे अधिक पूंजी का उपभोग कर रहा है।
- गैर-कर राजस्व (non-tax revenue) में तदनुरूपी वृद्धि के बिना "कर-जीडीपी अनुपात" (Tax-GDP ratio) में वृद्धि अनिवार्य रूप से सरकार की राजकोषीय गुणवत्ता में सुधार का संकेत देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 2

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि मुद्रास्फीति की गणना पिछले वर्ष के संबंधित महीने से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है; यदि उस आधार महीने में कीमतें अत्यधिक (बहुत कम या बहुत ज्यादा) थीं, तो वर्तमान मुद्रास्फीति दर विकृत हो सकती है।
- **कथन 2 वैचारिक रूप से मूलतः सही है:** सकल पूंजी निर्माण (GCF) के ऋणात्मक होने का अर्थ यह होगा कि अर्थव्यवस्था का पूंजी भंडार सिकुड़ रहा है (मूल्यहास/डेप्रिसिएशन नए निवेश से अधिक है), जिसका तात्पर्य है कि निर्मित होने वाली पूंजी की तुलना में (मूल्यहास के माध्यम से) अधिक पूंजी का उपभोग किया जा रहा है। हालांकि समग्र राष्ट्रीय आंकड़ों में "ऋणात्मक GCF" व्यावहारिक रूप से दुर्लभ है, लेकिन कथन का तर्क सही है।
- **कथन 3 गलत है:** उच्च कर-जीडीपी अनुपात का स्वचालित रूप से यह अर्थ नहीं होता कि राजकोषीय गुणवत्ता बेहतर है; यदि इसे प्रतिगामी करें (regressive taxes), विकृत करने वाले शुल्कों के माध्यम से या कर प्रशासन की दक्षता में सुधार किए बिना प्राप्त किया जाता है, तो यह राजकोषीय गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकता है। राजकोषीय गुणवत्ता व्यय की संरचना, घाटे की स्थिरता और राजस्व की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि केवल कर-जीडीपी अनुपात पर।

इसलिए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

4. भारत के संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति केवल साधारण विधेयकों (Ordinary Bills) के मामले में रोक सकता है, संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में नहीं।
2. अनुच्छेद 249 के तहत निर्दिष्ट संख्या में राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता वाला विधेयक तब भी कानून बन सकता है जब केवल एक राज्य विधानसभा अपनी सहमति देती है।
3. राज्यसभा किसी नए राज्य के निर्माण या किसी मौजूदा राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए विधेयक ला सकती है, लेकिन ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
4. अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों; यदि केवल एक ही सदन सत्र में हो, तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 and 4
- (d) केवल 3 और 4

उत्तर: (c) केवल 1 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** साधारण विधेयकों के लिए राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: सहमति देना, सहमति रोकना, या विधेयक को वापस करना (यदि यह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है)। संविधान संशोधन विधेयकों (अनुच्छेद 368 के तहत) के लिए, राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी; सहमति रोकने या वापस करने की कोई शक्ति नहीं है।
- **कथन 2 गलत है:** अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो राज्य विधानसभाओं की किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है; यह राज्यों की एक निर्दिष्ट संख्या द्वारा सहमति देने के बारे में नहीं है। कथन संवैधानिक प्रावधान को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।
- **कथन 3 गलत है:** नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के विधेयक अनुच्छेद 3 के तहत आते हैं; उन्हें केवल लोकसभा में ही पेश किया जाना चाहिए, और उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। राज्यसभा ऐसे विधेयक की शुरुआत नहीं कर सकती।
- **कथन 4 गलत है।** अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में न हों। यदि एक भी सदन सत्र में है, तो शर्त पूरी नहीं होती है, और शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। हालाँकि, कथन कहता है "यदि केवल एक सदन सत्र में है, तो शक्ति... उत्पन्न नहीं होती है," जो वास्तव में सही है; लेकिन पहला भाग "केवल तब जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों" भी सही है। रुकिए—यह कथन 4 को वास्तव में सार रूप में सही बनाता है। आइए दोबारा ध्यान से मूल्यांकन करें।

सटीक शर्त: अध्यादेश की शक्ति केवल तभी उत्पन्न होती है जब दोनों सदन सत्र में न हों।

यदि केवल एक सदन सत्र में है, तो 'दोनों सत्र में नहीं हैं' यह बात गलत हो जाती है, इसलिए शर्त विफल हो जाती है, और शक्ति उत्पन्न नहीं होती है।

इस प्रकार, कथन 4 सही है।

अब हमारे पास कथन 1 और 4 सही हैं। लेकिन विकल्पों में (c) के अलावा "केवल 1 और 4" शामिल नहीं है। आइए यह सुनिश्चित करने के लिए कथन 2 और 3 की दोबारा जाँच करें कि कोई अन्य सही तो नहीं है।

- **कथन 2:** अनुच्छेद 249 में राज्य विधानसभाओं की सहमति शामिल नहीं है; यह एक राज्यसभा का प्रस्ताव है। तो 2 गलत है।
- **कथन 3:** ऐसे विधेयकों को लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, राज्यसभा में नहीं। तो 3 गलत है।

इस प्रकार, सही कथन 1 और 4 हैं।

अंतिम उत्तर: (c) केवल 1 और 4

5. अभिकथन (Assertion) – कारण (Reason) प्रकार:

- **अभिकथन (A):** प्रायद्वीपीय भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर काफी अधिक वर्षा होती है।
- **कारण (R):** पश्चिमी घाट नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं के लिए एक बड़े अवरोध के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पश्चिमी हिस्से में तीव्र पर्वतीय (orographic) वर्षा होती है, जबकि पूर्वी हिस्सा वृष्टि-छाया (rain-shadow) क्षेत्र में आता है।

निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए:

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या:

- **अभिकथन (A) सही है:** प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तटीय पट्टी (जैसे, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का तट) में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बहुत भारी वर्षा होती है, जबकि पूर्वी तट (जैसे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तट) पर इस अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है।
- **कारण (R) भी सही है:** पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाले पश्चिमी घाट दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिससे वे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। इसके कारण पश्चिमी (पवनाभिमुख/windward) हिस्से में भारी पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि पूर्वी (पवनविमुख/leeward) हिस्से में वृष्टि-छाया प्रभाव का अनुभव होता है।

चूंकि (R) में वर्णित वृष्टि-छाया और पर्वतीय तंत्र सीधे तौर पर यह व्याख्या करता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर बहुत अधिक वर्षा क्यों होती है, इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है।

अतः, विकल्प (a) सही है।



दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

1. भारत के युवा मतदाताओं के उभरते राजनीतिक प्रोफाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में "नई राजनीतिक पीढ़ी" की मुख्य विशेषता पहचान-आधारित (identity-based) राजनीति से हटकर पूरी तरह से आर्थिक और विकास-उन्मुख मतदान व्यवहार की ओर झुकाव है।
2. डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने युवा मतदाताओं के बीच राजनीतिक जुड़ाव को तेज किया है, लेकिन इसने राजनीतिक विमर्श के बढ़ते विखंडन (fragmentation) और ध्रुवीकरण करने वाले सूक्ष्म-आख्यानों (micro-narratives) के उदय में भी योगदान दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b) केवल 2

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** हालांकि युवा मतदाताओं में आर्थिक और विकास संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत के चुनावी व्यवहार में पहचान-आधारित राजनीति (जाति, धर्म, क्षेत्र) अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। "नई राजनीतिक पीढ़ी" को पहचान की राजनीति से पूरी तरह से अलग होने के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है; इसके बजाय, यह अक्सर पहचान और अर्थव्यवस्था के एक जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है।
- **कथन 2 सही है:** डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने वास्तव में युवाओं में राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने ध्रुवीकरण करने वाली सामग्री, इको चैंबर (echo chambers) और खंडित सूक्ष्म-आख्यानो के प्रसार को भी सक्षम किया है, जिससे आम सहमति बनाना अधिक कठिन हो गया है।

इसलिए, केवल कथन 2 सही है।

2. भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?

- (a) कई उच्च-स्तरीय समझौतों और ढांचों के बावजूद, नियामक, रणनीतिक और वाणिज्यिक बाधाओं के कारण अमेरिका से भारत को उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की वास्तविक आपूर्ति सीमित रही है।
- (b) भारत ने मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के तहत परमाणु-संचालित पनडुब्बियों और लंबी दूरी की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी अत्याधुनिक अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
- (c) रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के कारण पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में लड़ाकू विमानों और विमानों का बड़े पैमाने पर संयुक्त उत्पादन हुआ है।
- (d) भारत-अमेरिका रक्षा संबंध अब मुख्य रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित हैं, जिसमें व्यावहारिक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में नगण्य प्रगति हुई है।

उत्तर: (a) कई उच्च-स्तरीय समझौतों और ढांचों के बावजूद, नियामक, रणनीतिक और वाणिज्यिक बाधाओं के कारण अमेरिका से भारत को उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की वास्तविक आपूर्ति सीमित रही है।

व्याख्या:

- **कथन (a) वास्तविकता को सही ढंग से दर्शाता है:** हालांकि भारत और अमेरिका ने विभिन्न ढांचों (जैसे, DTTI, BECA, COMCASA, LEMOA) पर हस्ताक्षर किए हैं और "बड़ी महत्वाकांक्षाएं" दिखाई हैं, लेकिन मुख्य, अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का वास्तविक हस्तांतरण अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों, रणनीतिक सतर्कता और वाणिज्यिक हितों के कारण सीमित रहा है।

- **विकल्प (b), (c), और (d) गलत हैं:** भारत ने अमेरिका से परमाणु-संचालित पनडुब्बियां या रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल नहीं की हैं; DTTI के परिणामस्वरूप पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त लड़ाकू विमानों का उत्पादन नहीं हुआ है; और व्यावहारिक (hard) तकनीक में रक्षा संबंध "नगण्य" नहीं हैं—महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण या व्यवस्थित सह-उत्पादन के स्तर पर नहीं।

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत "अनुपस्थिति में विचारण" (Trial in Absentia) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. BNSS के तहत अनुपस्थिति में विचारण केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां आरोपी एक घोषित अपराधी (proclaimed offender) है और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जानबूझकर गिरफ्तारी से बचता रहा है।
2. अनुपस्थिति में विचारण के प्रावधान का उद्देश्य आरोपी की अनुपलब्धता के कारण मुकदमे में अनिश्चितकालीन देरी को रोकना है, जबकि यह भी सुनिश्चित करना है कि आरोपी को कार्यवाही का नोटिस प्राप्त हो।
3. BNSS के तहत, भले ही आरोपी मुकदमे के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित न हो, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी को वकील के माध्यम से या अन्य साधनों से अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1 मूल रूप से सही है:** BNSS में पेश किए गए प्रावधानों के अनुसार, अनुपस्थिति में विचारण की परिकल्पना आम तौर पर तब की जाती है जब आरोपी एक घोषित अपराधी होता है जिसने जानबूझकर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कानूनी प्रक्रिया से दूरी बनाई रखी हो।
- **कथन 2 सही है:** इस प्रावधान का उद्देश्य आरोपी की अनुपस्थिति के कारण मुकदमों को अनिश्चित काल के लिए रुकने से बचाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करके प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की रक्षा करना है कि आरोपी को कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाए।
- **कथन 3 भी सही है:** निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों के अनुरूप, BNSS ढांचा यह आवश्यक बनाता है कि जब आरोपी शारीरिक रूप से उपस्थित न हो, तब भी अदालत यह सुनिश्चित करे कि आरोपी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिले, जो आमतौर पर वकील या अन्य अनुमत साधनों के माध्यम से होता है।

इस प्रकार, तीनों कथन सही हैं।

4. चिकित्सा आपातकालीन निदान में प्रोटीन बायोसेंसर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रोटीन बायोसेंसर्स ऐसे विश्लेषणात्मक उपकरण (analytical devices) हैं जो विशिष्ट जैव-अणुओं (biomolecules) का पता लगाने के लिए प्रोटीन का उपयोग पहचान तत्वों (recognition elements) के रूप में करते हैं, जो एक जैविक अंतःक्रिया को मापने योग्य संकेत में बदलते हैं।
2. आपातकालीन स्थितियों में, प्रोटीन बायोसेंसर्स कार्डिएक एंजाइम, सूजन संबंधी प्रोटीन (inflammatory proteins) और रोगजनक-विशिष्ट एंटीजन जैसे मार्करों का तेजी से पता लगाने में सक्षम बना सकते हैं, जिससे समय पर नैदानिक निर्णय लेने में मदद मिलती है।
3. वर्तमान नैदानिक उपयोग में प्रोटीन बायोसेंसर्स की मुख्य सीमा अन्य प्रोटीनों के हस्तक्षेप के कारण रक्त या सीरम जैसे जटिल जैविक तरल पदार्थों में काम करने की उनकी अक्षमता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** प्रोटीन बायोसेंसर्स वास्तव में विशिष्ट विश्लेष्यों (analytes) का पता लगाने के लिए पहचान तत्व के रूप में प्रोटीन (जैसे, एंजाइम, एंटीबॉडी, रिसेप्टर्स) का उपयोग करते हैं, और जैविक बाइंडिंग घटना को एक विद्युत, ऑप्टिकल या अन्य मापने योग्य संकेत में अनुवादित किया जाता है।
- **कथन 2 सही है:** आपातकालीन निदान में, कार्डिएक मार्कर (जैसे, ट्रॉपोनिन), सूजन संबंधी प्रोटीन (जैसे, साइटोकिन्स) और रोगजनक एंटीजन का तेजी से पता लगाने के लिए ऐसे बायोसेंसर्स विकसित या उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे चिकित्सकों को तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **कथन 3 एक सामान्यीकृत कथन के रूप में गलत है:** हालांकि जटिल जैविक तरल पदार्थों से होने वाला हस्तक्षेप एक चुनौती है, लेकिन आधुनिक प्रोटीन बायोसेंसर्स को विशेष रूप से (सतह संशोधनों, चयनात्मक झिल्लियों आदि के माध्यम से) रक्त, सीरम और अन्य जटिल तरल पदार्थों में काम करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। उनकी सीमा "अक्षमता" नहीं है बल्कि स्थिरता, अंशांकन (calibration) और मानकीकरण (standardisation) जैसी समस्याएं हैं, जिन्हें धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है।

इसलिए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

5. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CETA का मुख्य उद्देश्य समझौते के लागू होने के तुरंत बाद भारत से यूके को होने वाले वस्तुओं के निर्यात पर सभी शुल्कों (tariffs) को समाप्त करना है।

2. इस समझौते से भारत और यूके के बीच पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की अधिक आवाजाही को सुगम बनाने की उम्मीद है, जिसमें योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (mutual recognition of qualifications) के प्रावधान शामिल हैं।
3. CETA में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने और डिजिटल व्यापार, सतत व्यावसायिक प्रथाओं तथा श्रम मानकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं।
4. कृषि निर्यात और रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर असहमति के कारण CETA के लिए बातचीत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 4
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** CETA जैसे व्यापार समझौतों में आमतौर पर एक संक्रमण अवधि (transition period) के दौरान धीरे-धीरे शुल्क कटौती शामिल होती है, जिसमें कुछ संवेदनशील वस्तुओं को या तो बाहर रखा जाता है या उन पर कोटा लागू किया जाता है; वे व्यापक रूप से "सभी शुल्कों को... तुरंत" समाप्त नहीं करते हैं।
- **कथन 2 सही है:** CETA के प्रमुख अपेक्षित परिणामों में से एक पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए बेहतर आवाजाही है, जिसमें आसान वीजा मार्गों के लिए रूपरेखा और कुछ मामलों में, विशिष्ट योग्यताओं के लिए पारस्परिक मान्यता तंत्र शामिल हैं।
- **कथन 3 भी सही है:** आधुनिक व्यापक व्यापार समझौतों में आमतौर पर बौद्धिक संपदा संरक्षण, डिजिटल व्यापार, स्थिरता और श्रम मानकों पर अध्याय शामिल होते हैं, और CETA वार्ताओं में ये तत्व परिलक्षित हुए हैं।
- **कथन 4 गलत है:** हालांकि वार्ताओं को चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि कृषि और रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर CETA वार्ताओं को "अनिश्चित काल के लिए स्थगित" कर दिया गया है; रक्षा प्रौद्योगिकी किसी व्यापार समझौते का केंद्रीय घटक नहीं होती है, और कृषि संबंधी मुद्दों पर आम तौर पर बातचीत की जाती है, न कि वे पूर्ण वीटो के रूप में कार्य करते हैं।

इस प्रकार, केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

6. दक्षिण-पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के निम्नलिखित नए स्वतंत्र या हाल ही में उन्नत क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. पापुआ (Papua)
2. न्यू गिनी (New Guinea - हालिया रणनीतिक चर्चाओं में संदर्भित स्वतंत्र राज्य)

3. सोलोमन द्वीप समूह (Solomon Islands)

4. फिजी (Fiji)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 – 2 – 3 – 4

(b) 2 – 1 – 3 – 4

(c) 1 – 3 – 2 – 4

(d) 2 – 3 – 1 – 4

उत्तर: (a) 1 – 2 – 3 – 4

व्याख्या:

भौगोलिक रूप से, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर:

- **पापुआ** (न्यू गिनी द्वीप का इंडोनेशियाई पश्चिमी भाग) सबसे दूर पश्चिम में स्थित है।
- **न्यू गिनी** के रूप में संदर्भित स्वतंत्र या हाल ही में चर्चा में आई इकाई (हालिया रणनीतिक चर्चाओं के संदर्भ में, जिसका अर्थ अक्सर पूर्वी भाग - पापुआ न्यू गिनी होता है) इंडोनेशियाई पापुआ के पूर्व में स्थित है।
- **सोलोमन द्वीप समूह** पापुआ न्यू गिनी के और अधिक पूर्व में स्थित है।
- **फिजी** सोलोमन द्वीप समूह के भी पूर्व में स्थित है।

इसलिए, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है: पापुआ → न्यू गिनी → सोलोमन द्वीप समूह → फिजी, जो विकल्प (a): 1 – 2 – 3 – 4 के अनुरूप है।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

अगला बैच - (GS-1)

अध्याय 1: कक्षा 12 भूगोल – अध्याय 8: निर्माण उद्योग

प्रश्न:

"यद्यपि भारत में औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, लेकिन इसने गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन और पर्यावरणीय गिरावट को भी जन्म दिया है। भारत में निर्माण उद्योगों के स्थानिक पैटर्न (spatial pattern) के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" (20 अंक, ~300 शब्द)

आदर्श उत्तर:

भारत में औद्योगिकीकरण ने वास्तव में आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में कार्य किया है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद (GDP), रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालाँकि, इसके लाभ सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं, जिससे गंभीर स्थानिक असंतुलन (regional imbalances) और पर्यावरणीय लागतें सामने आई हैं।

स्थानिक असंतुलन

भारत में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) का स्थानिक पैटर्न अत्यधिक संकेंद्रित (concentrated) है। मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-गुड़गांव-फरीदाबाद और हैदराबाद-बेंगलुरु जैसे प्रमुख औद्योगिक गलियारे (industrial corridors) औद्योगिक उत्पादन में एक बहुत बड़ा और असमान हिस्सा रखते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य विनिर्माण में हावी हैं, जबकि कई पूर्वी और मध्य राज्य (जैसे, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से) तुलनात्मक रूप से कम औद्योगिक हैं।

यह संकेंद्रण निम्नलिखित कारणों से प्रेरित है:

- पहले से विकसित क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा (बिजली, सड़कें, बंदरगाह)।
- कुशल श्रम और वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता।
- बाजारों और निर्यात केंद्रों से निकटता।

इसके परिणामस्वरूप, ये क्षेत्र अधिक निजी और सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करते हैं, जिससे इन्हें संचयी लाभ (cumulative advantage) मिलता है, जबकि गरीब क्षेत्रों को कम निवेश, कम उत्पादकता और अल्प-रोजगार के चक्र का सामना करना पड़ता है। इसने आय, रोजगार और जीवन स्तर में अंतर-राज्यीय असमानताओं को बढ़ा दिया है।

पर्यावरणीय गिरावट

तीव्र औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुँचाया है:

- थर्मल पावर प्लांट, स्टील, सीमेंट और रासायनिक उद्योगों से होने वाला वायु प्रदूषण, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और गुजरात व तमिलनाडु के औद्योगिक बेल्ट में।
- कपड़ा, चमड़ा शोधन (tannery) और चीनी उद्योगों से अनुपचारित अपशिष्टों (untreated effluents) के छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण।
- खनन और कारखानों के विस्तार के कारण भूमि क्षरण और जैव विविधता की हानि।

कई लघु और मध्यम उद्योग पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना काम करते हैं, जिससे यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य (Critical Perspective)

यद्यपि औद्योगिकीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन इसके क्षेत्रीय झुकाव (skew) और बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों (environmental externalities) की अनदेखी नहीं की जा सकती। पिछड़े क्षेत्रों के लिए लक्षित नीतियों (जैसे, औद्योगिक पार्क, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, राजकोषीय प्रोत्साहन) और सख्त पर्यावरणीय नियमों के बिना, औद्योगिकीकरण के लाभ असमान और असतत (unsustainable) बने रहेंगे।

(GS-2)

अध्याय: कक्षा 12 राजनीति विज्ञान – अध्याय 9: आने वाले युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध**प्रश्न 2: "आने वाले युग में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैचारिक गठबंधनों से कम और रणनीतिक स्वायत्तता तथा आर्थिक व्यावहारिकता से अधिक आकार लेंगे।" चर्चा कीजिए। (20 अंक, ~300 शब्द)****आदर्श उत्तर:**

भारत की विदेश नीति में शीत युद्ध (Cold War) के गुटनिरपेक्षता और वैचारिक एकजुटता के युग से लेकर रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों पर केंद्रित एक अधिक तरल (fluid) व व्यावहारिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आने वाले युग में इस प्रवृत्ति के और गहरा होने की संभावना है।

विचारधारा से व्यावहारिकता की ओर

शीत युद्ध के दौरान, भारत के संबंध अक्सर वैचारिक विचारों द्वारा निर्देशित होते थे—जैसे समाजवादी गुट के साथ घनिष्ठ संबंध, पश्चिमी साम्राज्यवाद की आलोचना और वि-उपनिवेशीकरण (decolonisation) पर जोर। हालाँकि, आज भारत किसी वैचारिक निष्ठा के बजाय राष्ट्रीय हित के आधार पर सभी प्रमुख शक्तियों—अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और अन्य—के साथ जुड़ता है। उदाहरण के लिए:

- भारत रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदना जारी रखते हुए अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध बनाए रखता है।
- यह व्यापार और जलवायु मुद्दों पर चीन के साथ सहयोग करता है, और साथ ही सीमा पर व भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला भी करता है।
- यह तकनीक और सुरक्षा पर पश्चिम के साथ जुड़ता है, जबकि गैर-पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) में भाग लेता है।

यह एक बहु-सरेखित (multi-aligned), गैर-वैचारिक रुख को दर्शाता है जहाँ साझेदारियाँ लेन-देन संबंधी (transactional) और मुद्दा-विशिष्ट होती हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता

रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) भारत की विदेश नीति का मूल बनी हुई है। भारत किसी भी सैन्य गठबंधन या गुट में शामिल होने से इनकार करता है (जैसे, यह नाटो जैसी संरचनाओं में शामिल नहीं हुआ है) और रक्षा, व्यापार तथा कूटनीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने पर जोर देता है। यह निम्नलिखित में स्पष्ट है:

- वैश्विक संघर्षों (जैसे, यूक्रेन) पर इसकी नपी-तुली प्रतिक्रिया, जहाँ यह ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चिंताओं के साथ आक्रमण की आलोचना को संतुलित करता है।
- ग्लोबल साउथ (Global South) जैसे मंचों में इसका नेतृत्व, जो विकास प्राथमिकताओं और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर देता है।

आर्थिक व्यावहारिकता

आर्थिक विचार अब केंद्रीय भूमिका में हैं:

- भारत सभी भागीदारों से व्यापार समझौतों, निवेश प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तलाश करता है।

- यह वैश्विक प्राथमिकताओं के रूप में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) को बढ़ावा देता है।
- आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक साझेदारियों के लिए खुला रहते हुए निर्भरता को कम करना है।

आने वाले युग में, भारत वैचारिक खेमों के बजाय सुरक्षा, विकास और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देते हुए प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच अपना रास्ता बनाना जारी रखेगा। इसकी विदेश नीति लचीलेपन, मुद्रा-आधारित गठबंधनों और आर्थिक व्यावहारिकता द्वारा समर्थित रणनीतिक स्वायत्तता पर मजबूत जोर से परिभाषित होगी।

(GS-3)

अध्याय: कक्षा 12 अर्थशास्त्र – अध्याय 6: भारत के विकास के अनुभव: एक पाठक

प्रश्न 3: "1991 के बाद से भारत का विकास अनुभव राज्य के नेतृत्व वाले, संरक्षणवादी मॉडल से बाजार-उन्मुख, विश्व स्तर पर एकीकृत मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है, लेकिन निरंतर असमानताओं के साथ।" विश्लेषण कीजिए। (20 अंक, ~300 शब्द)

आदर्श उत्तर:

1991 के बाद से भारत का विकास पथ 1950-1980 के दशक के राज्य-नेतृत्व वाले, संरक्षणवादी (protectionist) मॉडल से बाजार-उन्मुख, विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। हालाँकि, तीव्र विकास के बावजूद, आय, क्षेत्र और सामाजिक समूहों में असमानताएँ बनी हुई हैं, जिससे इस परिवर्तन की समावेशिता (inclusiveness) पर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।

आर्थिक मॉडल में बदलाव

1991 से पहले, भारत भारी राज्य नियंत्रण के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का पालन करता था:

- मुख्य उद्योगों में लाइसेंसिंग, शुल्क (tariffs) और सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा।
- आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ सीमित विदेशी निवेश और व्यापार।

1991 के सुधारों ने निम्नलिखित की शुरुआत की:

- **उदारीकरण (Liberalisation):** लाइसेंसिंग में कमी, औद्योगिक नियंत्रणों को हटाना।
- **निजीकरण (Privatisation):** सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना।
- **वैश्वीकरण (Globalisation):** शुल्कों में कमी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण।

इन सुधारों के कारण:

- विशेष रूप से सेवाओं, आईटी और विनिर्माण में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर तेज हुई।
- निर्यात का विस्तार, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए।
- एक जीवंत निजी क्षेत्र और वैश्विक भारतीय निगमों का उदय हुआ।

निरंतर असमानताएँ

इन लाभों के बावजूद, असमानताएँ अभी भी स्पष्ट हैं:

- **आय असमानता:** शीर्ष 10% की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि निचले 50% लोग अभी भी कम आय और असुरक्षित रोजगार से जूझ रहे हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य तेजी से बढ़े हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पिछड़ गए हैं।
- **सामाजिक असमानता:** हाशिए पर रहने वाले समुदाय (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं) शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- **क्षेत्रीय (Sectoral) असंतुलन:** जबकि सेवाओं और आईटी क्षेत्र में उछाल आया है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र कम उत्पादकता और उच्च संकट के साथ खराब प्रदर्शन कर रहे हैं।

समालोचनात्मक मूल्यांकन

1991 के बाद का मॉडल विकास और वैश्विक एकीकरण पैदा करने में सफल रहा है, लेकिन इसने संरचनात्मक असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित नीतियों के बिना, विकास के लाभ सीमित क्षेत्रों में ही केंद्रित रहेंगे। भविष्य के विकास में बाजार की गतिशीलता को राज्य के हस्तक्षेप के साथ जोड़ना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास समावेशी, सतत और न्यायसंगत हो, जो भारत की आर्थिक सफलता को व्यापक सामाजिक प्रगति में बदल सके।

(GS-4)

अध्याय: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि (सामान्य ढांचा)

प्रश्न 4: "सत्यनिष्ठा (Integrity) केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि बाहरी निगरानी की अनुपस्थिति में भी नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता है।" एक सिविल सेवक की भूमिका के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। (20 अंक, ~300 शब्द)

आदर्श उत्तर:

सत्यनिष्ठा को अक्सर नियमों और प्रक्रियाओं के सख्त पालन के रूप में समझा जाता है। हालाँकि, सिविल सेवाओं के संदर्भ में, यह अधिक गहरा विचार है: यह ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही और सार्वजनिक कल्याण जैसे नैतिक सिद्धांतों के प्रति एक ऐसी प्रतिबद्धता है, जो तब भी बनी रहती है जब कोई बाहरी निगरानी या तत्काल परिणाम सामने न हों।

नियमों से परे सत्यनिष्ठा

नियम और कानून एक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति को कवर नहीं कर सकते। एक सिविल सेवक को निम्नलिखित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है:

- हितों का टकराव (Conflicts of interest) जहाँ नियम अस्पष्ट हों।
- प्रक्रियाओं को मोड़ने के लिए शक्तिशाली तत्वों का दबाव।
- निगरानी की अनुपस्थिति में व्यक्तिगत लाभ के अवसर।

ऐसी स्थितियों में, सत्यनिष्ठा का अर्थ केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य कार्य को चुनना नहीं, बल्कि नैतिक रूप से सही कार्य को चुनना है। उदाहरण के लिए:

- स्पष्ट रूप से आवश्यक न होने पर भी हितों के टकराव का खुलासा करना।
- राजनीतिक या कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के दबाव के बावजूद एक संदिग्ध परियोजना को मंजूरी देने से इनकार करना।
- ऑडिट में देरी होने पर भी संसाधन आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

एक सिविल सेवक की भूमिका

सिविल सेवक शासन की रीढ़ होते हैं। उनकी सत्यनिष्ठा सीधे प्रभावित करती है:

- संस्थानों में जनता के विश्वास को।
- नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के निष्पक्ष कार्यान्वयन को।
- भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम को।

सत्यनिष्ठा से युक्त एक सिविल सेवक सार्वजनिक हित के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के बजाय न्याय, समानता और जवाबदेही द्वारा निर्देशित हों।

आंतरिक नैतिक अंतःकरण (Internal Moral Compass)

सच्ची सत्यनिष्ठा एक आंतरिक नैतिक अंतःकरण से उत्पन्न होती है, जो निम्नलिखित से आकार लेती है:

- व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक शिक्षा।
- समाज पर कार्यों के परिणामों का चिंतन।
- जनता के प्रति कर्तव्य की भावना।

यह आंतरिक प्रतिबद्धता ही है जो एक सिविल सेवक को तब भी ईमानदार बनाए रखती है जब कोई देख नहीं रहा हो, एक भ्रष्ट व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का विरोध करने की शक्ति देती है, और कानून के केवल शब्दों (letter) का पालन करने के बजाय उसकी मूल भावना (spirit) को बनाए रखने में मदद करती है।

निष्कर्षतः, सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा केवल नियमों का पालन करना नहीं है; यह एक नैतिक रुख है जो सुविधा के ऊपर नैतिक कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि शासन निष्पक्ष, पारदर्शी और जन-केंद्रित बना रहे।

(Current Affairs)

विषय: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia)

प्रश्न 5: "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 'अनुपस्थिति में विचारण' की शुरुआत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। चर्चा कीजिए।" (20 अंक, ~300 शब्द)

आदर्श उत्तर:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अनुपस्थिति में विचारण (trial in absentia) का प्रावधान पेश करती है, जिससे कुछ शर्तों के तहत आरोपी के शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर भी अदालतों को मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यह आपराधिक न्याय में लंबे समय से होने वाली देरी को संबोधित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और प्रक्रियात्मक न्याय के संबंध में गंभीर चिंताएँ भी पैदा करता है।

अनुपस्थिति में विचारण के उद्देश्य

इसका प्राथमिक उद्देश्य उन मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है जहाँ आरोपी:

- एक घोषित अपराधी (proclaimed offender) घोषित किया जा चुका हो।
- लंबे समय से जानबूझकर गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही से बच रहा हो।
- मुकदमों में देरी करने के लिए अनुपस्थिति को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो।

आरोपी की शारीरिक उपस्थिति के बिना मुकदमों को जारी रखने की अनुमति देकर, BNSS निम्नलिखित प्रयास करता है:

- आपराधिक मामलों को अनिश्चित काल के लिए रुकने से रोकना।
- अदालतों और पीड़ितों पर बोझ कम करना।
- आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करना।

गंभीर अपराधों (जैसे, आतंकवाद, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार) के मामलों में, यह प्रावधान कानूनी प्रक्रियाओं से जानबूझकर बचने के खिलाफ एक निवारक (deterrent) के रूप में कार्य कर सकता है।

निष्पक्ष सुनवाई पर चिंताएँ

हालाँकि, यह प्रावधान गंभीर चिंताएँ भी पैदा करता है:

- **सुने जाने का अधिकार (Right to be Heard):** निष्पक्ष सुनवाई का एक मूल तत्व यह है कि आरोपी को अपना बचाव प्रस्तुत करने, गवाहों से पूछताछ करने और साक्ष्यों को चुनौती देने का अधिकार हो। यदि सुरक्षा उपाय कमजोर हैं तो अनुपस्थिति में विचारण से इस अधिकार के कमजोर होने का खतरा रहता है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** इस बात का जोखिम है कि कमजोर व्यक्तियों पर दबाव बनाने या उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, यदि "घोषित अपराधी" के मानदंडों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
- **न्याय की गुणवत्ता:** आरोपी के बिना आगे बढ़ने से बचाव अधूरा रह सकता है, जिससे गलत दोषसिद्धि (wrongful convictions) का जोखिम बढ़ जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** कई मानवाधिकार दस्तावेज मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति के अधिकार पर जोर देते हैं, विशेष रूप से गंभीर मामलों में।

गति और निष्पक्षता में संतुलन

इन चिंताओं को संतुलित करने के लिए, BNSS को यह सुनिश्चित करना होगा:

- **सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** उचित नोटिस, वकील के माध्यम से उपस्थित होने का अवसर, और किसी को घोषित अपराधी घोषित करने के लिए उच्च सीमा (high threshold)।
- मनमाने अनुप्रयोग को रोकने के लिए **न्यायिक निरीक्षण**।
- यदि आरोपी बाद में उपस्थित होता है और कार्यवाही को चुनौती देता है, तो **पुनः मुकदमे (re-trial) के लिए स्पष्ट प्रावधान**।

निष्कर्षतः, अनुपस्थिति में विचारण एक आवश्यक लेकिन संवेदनशील सुधार है। हालांकि यह न्याय प्रणाली की दक्षता को बढ़ा सकता है, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और न्याय की संभावित विफलता (miscarriage of justice) को रोकने के लिए इसे मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए।

